

प्रेषक,

सत्यनारायण,  
निदेशक जन शिक्षा-सह-संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना),  
सहरसा, सिवान, खगड़िया एवं समस्तीपुर।

पटना, दिनांक -

विषय :- वित्तीय वर्ष-2013-14 में गैर योजना अन्तर्गत स्थापना मद में अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

- मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-04-प्रौढ शिक्षा, लघु शीर्ष-200-अन्य प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम, उप शीर्ष-0001-जिला जन शिक्षा कार्यालय, विपत्र कोड-एन 2202042000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2013-14 में संलग्न विवरणी में अंकित राशि 18,63,500/- (अठारह लाख तीसठ हजार पाँच सौ रूप) मात्र आपको अतिरिक्त आवंटन संलग्न विवरणी अनुसार दी जाती है।
2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009 एवं 3316 दिनांक-30.03.13 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
  3. प्राप्त आवंटन से विधिवत् रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
  4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
  5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
  6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
  7. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतनादि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान आवंटित राशि से किया जा सकता है।
  8. वित्तीय नियमावली, बजट, मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
  9. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।

10. नासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0न0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
11. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, जन शिक्षा-सह-संयुक्त सचिव का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।
12. नितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन,

ह0/-


(सत्यनारायण),

निदेशक, जन शिक्षा-सह-संयुक्त सचिव।

ज्ञापक -- 286

पटना, दिनांक- 9/11/13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं ह0), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त/अवर सचिव -सह-बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-05/संबंधित सहायक प्रशाखा-05/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(सत्यनारायण),


निदेशक, जन शिक्षा-सह-संयुक्त सचिव।

8/11

मांग संख्या -21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-04 प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष-200 अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उप शीर्ष-0001 जिला जन शिक्षा कार्यालय विपत्र कोड-एन 2202042000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला जन शिक्षा कार्यालय के लिए अतिरिक्त आवंटन राशि की विवरणी।

क्रमांक	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग वेतन एवं भत्ते	यात्रा व्यय	कार्यालय	वर्दी/पोशाक	कुल योग
	कुट संख्या	0101	0103	0104	0105	0106		1101	1301	1306	
1	सहरसा	23800	11700	2200	0	-	37700	-	-	-	37700
2	सिवान	320400	286400	32400	0	2400	641600	5000	10000	-	656600
3	खगड़िया	183200	289500	-	0	-	472700	-	-	1500	474200
4	समस्तीपुर	395000	300000		0	-	695000	-	-		695000
	कुल योग :-	922400	887600	34600	0	2400	1847000	5000	10000	1500	1863500

18,63,500 /- (अठारह लाख तीसठ हजार पाँच सौ) रु० मात्र।

  
(सत्यनारायण)

निदेशक जन शिक्षा-सह-संयुक्त सचिव।

BN